connected therewith or incidental thereto, and also further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the State Bank of India Act, 1955".

The motion was adopted.

SHRI JAGANNATH PAHADIA : I introduce the Bill.†

12.55 HOURS

CIVIL DEFENCE BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to move for leave to introduce a Bill to make provision for civil defence and for matters connected therewith.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to make provision for civil defence and for matters connected therewith".

The motion was adopted

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I introduce the Bill.

11.56 hrs.

COMMITTEE ON PRIVILEGES
FOURTH REPORT

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौथी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की चौथी रिपोर्ट पर यह विवाद उठाना चाहता हूं। 4 जून को, जब कि देश की संसद् में हज़ारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार हो रहा था, हिन्दुस्तान टाइम्स के एडीटर, श्री मूलगांवकर, ने "शैडज़ आफ़ दि स्टार चैम्बर" के शीर्षक से एक लेख लिखा, जिस को पढ़ कर कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर पहुचे बगैर नहीं रह सकता कि सम्पादक महोदय ने इस सदन की गरिमा को बड़ा भारी धक्का लगाया है, इस सदन की तुलना स्टार चेम्बर से कर के इस को अपमानित किया है, इस की मान-हानि की है।

मैं नें इंगलैंड का इतिहास पढ़ा है। मैं स्टार चेम्बर नाम की कोर्ट की कुछ पृष्ठभूमि आप की सेवा में रखना चाहता हूं। चार्लस द्वितीय और चार्लस तृतीय के समय से इंगलैंड में स्टार चेम्बर नाम की एक कोर्ट थी, जिस की छत पर सितारे बने हुए थे। उस कोर्ट में जो सदस्य बैठते थे, वे केवल इधर-उधर की सुनी हुई अफ़वाहों के आधार पर, किसी बात का सबूत लिये बगैर, एक सम्मरी ढंग से लोगों की ट्रायल कर के उन को दंड देते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उन लोगों ने बड़े गैर-जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना शुरू किया था। उसी कारण उस समय राजा और संसद् के बीच में एक संघर्ष चला। उस संघर्ष में आखिर में संसद् की विजय हुई और उस ने उस स्टार चेम्बर की कोर्ट को दबाया।

स्टार चेम्बर की कोर्ट से इस संसद् की तुलना कर के सम्पादक महोदय ने यह कल्पना देने की कोशिश की है कि मानों आज का यह हमारा सदन एक गैर-जिम्मेदार लोगों का सदन है, किसी बात की जांच-पड़ताल किये बगैर इस सदन में भीषण और गम्भीर आरोप लगाए जाते हैं। उस लेख में से कुछ उद्धरण पढ़ कर मैं यह सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार सम्पादक महोदय ने आज के इस जनतंत्र के प्रभुसत्ता-सम्पन्न सर्वोपरि सदन को लोगों की नजरों में बेइज्जत करने का प्रयत्न किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सम्पादक महोदय को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है।

परन्तु एक स्वतंत्र देश में जैसा कि कहा गया है कि किसी की भी आजादी उस की नाक से परे नहीं चलती। एक व्यक्ति अब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है या दूसरे के ऊपर इस तरह की नुक्ताचीनी करता है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या जिस लोकतं

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-12-67.

†Introduced with the recommendation of the President.

[श्री श्रीचन्द गोयल]

के तरीके को हमारे देश ने अपनाया है उस की मानहानि कर के और जिस संस्था को सारे देश नें ग्रहण किया है उस संस्था को धक्का पहुंचा कर उस के प्रति अविश्वास पैदा कर के, लोगों के अन्दर इस जनतंत्र की पद्धति से उन को नफरत हो जाय इस प्रकार का वातावरण तो वह पैदा नहीं कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, सम्पादक महोदय नें कहा है :

"The proposition has only to be put in this manner to recognise the absurdity of it, but this is precisely what it amounts to if we are to take with any seriousness the wild charges which have been flung in Parliament against the Birlas."

12 HOURS

बिरलाज़ के बारे में चूंकि हजारी रिपोर्ट है और उस पर आप ने यह कहा कि अगले सत्र के पहले सप्ताह में उस पर आप विवाद इस सदन में लेंगे, इस कारण मैं उस के अंदर बिलकुल नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से बिरला मनोवृत्ति है, आज जिस तरीके से कुछ लोग लाखों रुपये रोज की कमाई करते हैं उस के मुकाबिले में हमारे देश के अन्दर ऐसे भाई हैं कि जिनकी आय रुपये दो रुपये से अधिक नहीं, जिन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होतीं, इसलिए आज यदि सदन का कोई माननीय सदस्य इस बिरला मनोवृत्ति के विरुद्ध कोई आवाज संसद के अन्दर उठाता है, आज जो यह वर्तमान सिस्टम है उसके मुकाबिले पर समाजवाद का सिस्टम अपने देश में आये या लोगों की आय के अन्दर भेद कम से कम हो उस की आवाज उठाता है तो मैं समझता हूं कि हरएक माननीय सदस्य को इस बात का अधिकार है। कुछ लोगों के भाषणों से हमें मतभेद हो सकता है, कुछ लोग शायद उतनी जिम्मेदारी से बात सदन के अन्दर नहीं करते होंगे, उस से हमारा भी मत-भेद हो सकता है लेकिन एक दो भाषणों से यह निष्कर्ष निकाल लेना या इस नतीजे पर पहुंचना कि सारे का सारा जो सदन है वह गैर-जिम्मेदार लोगों का है और आज वह एक अत्याचार का साधन बन गया है, आज वह एक जुल्म व सितम का हथियार बन गया है, इस प्रकार की कल्पना सम्पादक महोदय ने जनता को दे कर इस सदन के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। सम्पादक आगे जा कर लिखते हैं :

"The question that now arises is how far can we go in allowing parliament to behave like some kind of a Star Chamber sitting in judgment of individuals and institutions...55

इसमें तीन चार बातों की तरफ उन्होंने संकेत किया है और उन्होंने स्टार चैम्बर से जिस प्रकार तुलना की है...... (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सम्पादक महोदय अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ गए। मैं सम्पादक का अधिकार समझता हूं कि वह उचित प्रकार की टिप्पणी किसी संसदीय प्रणाली के संबंध में कर सकते हैं लेकिन उन को यह अधिकार नहीं है कि इस सम्पूर्ण संसद को, पूरी लोक सभा को लोगों के सामनें इस ढंग से पेश करें कि जिससे यह दिखाई दे कि इस संसद के सदस्य जिम्मे-दारी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं बल्कि वह कुछ लोगों को हानि पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सम्पादक महोदय उस समाचार पत्र से संबंध रखते हैं जिस के मालिक बिरला हैं इसलिये कुदरती तौर पर शायद उन को इस बात का दुख हुआ होगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपनी जिम्मेदारी का उन को भी सबूत देना चाहिए था और जब इस सदन की विशेषाधिकार समिति ने उन को अवसर दिया, सब से पहले उन को पत्र लिखा, इस लेख की तरफ उन का ध्यान दिलाया, उस के उत्तर में भी न उन्होंने किसी प्रकार की क्षमा याचना की न यह कहा कि मुझ से यह गलती हुई है बल्कि उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने किया है अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया है तो विशेषाधिकार समिति के माननीय

सदस्य भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं और जब उन की प्रत्यक्ष रूप में गवाही हुई, जब वह समिति के सामने पेश हुए और समिति के अति योग्य सदस्यों ने वार वार उन से प्रश्न पूछे तो उस समय भी उन्होंने किसी प्रकार की अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्होंने यह कहा कि मैंने इस सदन के किसी भी विशेष अधिकार को भंग नहीं किया है। हालांकि बार बार हमारे माननीय सदस्य उन के ध्यान में यह चीज लाये कि चाहे आप का इरादा नहीं होगा, आप की नीयत नहीं होगी, लेकिन इस लेख को पढ़ कर हर एक व्यक्ति इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जो इस सदन के सदस्य हैं वह गैर-जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, तो भी उन्होंने अपनी इस गलती की क्षमा याचना नहीं की। मैं समझता हूं कि इस सदन ने बहुत बड़ा बड़प्पन का सबूत दिया है कि इस निष्कर्ष पर पहुंच कर कि सम्पादक महोदय ने विशाषाधिकारों की अवहेलना की है, विषाधिकारों को भंग किया है, उस के बावजूद भी उन को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया। मैं यही इस समिति का बड़प्पन समझता हूं कि उन्होंने इस को नजर-अन्दाज़ किया है। लेकिन आज इस विवाद के द्वारा मैं यह बात इस सदन के स्वरूप रखना चाहता हूं कि जब इस देश ने लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया है और जब इस लोक तंत्र में सम्मानित सदस्य भारत की सारी जनता के वयस्क मतों से चुन कर आते हैं तो उन के संबंध में अपने लेख द्वारा, अपने कुछ हितों की रक्षा के लिए या उस के जो अखबार के मालिक हैं केवल उनके हितों का विचार कर के सारे सदन के ऊपर जिस प्रकार कीचड़ उछाला गया है मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है और इस से सदन की गरिमा को भी बड़ा भारी धक्का लगा है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यह जो आवेदन है इस को यह सदन स्वीकार करे।

MR. SPEAKER : Before anything is done, I wish to say that according to the rules, the hon. Member is entitled to move a motion. Now that the Committee has gone into it and made some recommendations, we may proceed with the next step without any further speeches. Mr. Goel has made a long speech and that is enough for the day. Mr. Khadilkar's motion is also coming.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): Sir, is the Committee of Privileges superior to this House?

MR. SPEAKER : It is a creature of this House. How can it be superior? I am not here to answer which is bigger or which is more powerful. This House is supreme.

The question is :

"That the Fourth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 12th December, 1967, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. SPEAKER : Now Shri Khadilkar.

SHRI KHADILKAR (Khed) : Sir, I move :

"That this House agrees with the Fourth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 12th December, 1967."

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Fourth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 12th December, 1967."

The motion was adopted.

12.11 Hours

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will resume further discussion on the motion regarding the international situation. 2 hours remain. The PSP has not participated in the debate.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, इस डिबेट का जवाब कौन देगा— न यहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं और न डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं।